



Neutral Citation No. -2026: AHC:128169

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 18447/2026

अरविंद सोनकर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	: ईशु सोनकर, एस.एम. फ़राज़ आई. काज़मी
विपक्षी के अधिवक्ता	: अरविंद कुमार, चन्द्र शेखर मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 48

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कान्त शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 411/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 309(6), 317(2) के अंतर्गत, थाना करछना, जनपद प्रयागराज में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, चन्दन सोनी, सूचक यानी सूरज सोनी का भाई, अपनी दुकान से शाम लगभग 7:30 बजे घर लौट रहा था। जब वह अपने घर से लगभग 300 मीटर दूर, नहर के पास पहुँचा, तब सफेद रंग की मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्तियों ने उसे टक्कर मारी तथा उसके पास मौजूद सोने-चाँदी के आभूषणों से भरा बैग लूटने का प्रयास किया। उसके विरोध करने पर, हमलावरों ने उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी बायीं जांघ में गोली लगी, जबकि एक और छर्छा उसकी दाहिनी पसली में लगा। घटना की सूचना मिलने पर, सूचक एवं अन्य ग्रामीण मौके पर पहुँचे और घायल को उपचार हेतु अस्पताल ले गए। घायल ने बताया कि उसका अशोक उपाध्याय निवासी- ग्राम गांधीयाव से पैसों के बकाये को लेकर विवाद हुआ था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना में लगभग 2 किलोग्राम चाँदी तथा 20 ग्राम सोने के आभूषण लूट लिए गए। विवेचना के दौरान, अभियुक्त-आवेदक को गिरफ्तार किया गया, तथा उसके कब्जे से 242 ग्राम चाँदी के आभूषण एवं ₹ 270 नकद कथित तौर पर बरामद किए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गए। यह भी आरोप है कि विवेचक द्वारा सूचक एवं पीड़ित को गिरफ्तारी स्थल पर लाया गया, जहाँ उन्होंने बरामद आभूषणों तथा अभियुक्त-आवेदक की पहचान की।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने, जमानत आवेदन पर जोर देते हुए, तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान वाद में झूठा फँसाया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक ने अभियोजन पक्ष के द्वारा आरोपित कोई अपराध कारित नहीं किया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि विवेचना के दौरान अभियुक्त-आवेदक की कोई पहचान परेड नहीं कराई गई। यह तर्क दिया गया है कि विवेचना एकतरफा की गई है तथा कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। यह भी निवेदित किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने घायल की चोट रिपोर्ट भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह पूर्व में किसी भी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं हुआ है। यह तर्क दिया गया है कि गिरफ्तारी स्थल पर अभियुक्त-आवेदक एवं बरामद आभूषणों की पहचान का कोई विधिक या साक्ष्यात्मक महत्व नहीं है। आवेदक 29.01.2026 से जेल में निरुद्ध है। उपर्युक्त के आधार पर, विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई।

5. इसके विपरीत अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री अरविन्द कुमार ने जमानत का पुरजोर विरोध किया तथा निवेदित किया कि लूटी गई संपत्ति अभियुक्त-आवेदक के कब्जे से बरामद हुई है। यह भी तर्क दिया जाता है कि अभियुक्त-आवेदक की पहचान सूचक एवं पीड़ित द्वारा गिरफ्तारी के समय की गई थी। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि, घटना के पश्चात, घायल चन्दन सोनी को आग्नेयास्त्र से लगी चोटों के उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। न्यायालय का ध्यान डिस्चार्ज समरी की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें जांघ की हड्डी (फीमर) में फ्रैक्चर, शरीर में विदेशी वस्तु (गोली/छर्चा) की उपस्थिति तथा पेट और आंतों में कई छिद्र पाए जाने का उल्लेख है। इमरजेंसी ओटी में जीए के तहत मरीज़ का इलाज एक्सप्लोरेटरी लैपरोटॉमी और पेरिटोनियल लैवेज से किया गया, इसमें इलियो-सीकल जंक्शन से क्रमशः 5 सेमी. और 4 सेमी. ऊपर (प्राक्सिमल) मौजूद 1 x 0.5 सेमी. और 0.5 x 0.5 सेमी. के इलियल परफोरेशन (आंत में छेद) प्राथमिक रूप से ठीक की गई, 1 x 1 सेमी. का सीकल परफोरेशन और इलियो-सीकल जंक्शन से 4 सेमी. नीचे (डिस्टल) मौजूद 2 x 1 सेमी. के आरोही कोलन परफोरेशन को भी ठीक किया गया, इलियो-सीकल जंक्शन से 105 फीट ऊपर इलियोस्टोमी बनाई गई और बाई ओर पेल्विक अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



ड्रेन लगाया गया, इस प्रकार, आग्नेयास्त्र से लगी चोट के संबंध में अभियोजन पक्ष के बयान की पुष्टि होती है। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त-आवेदक के कब्जे से लूटे गए आभूषणों का कुछ भाग भी बरामद हुआ है। इसके अलावा यह तर्क दिया गया है कि घटना में तीन हमलावर शामिल थे और आवेदक उनमें से एक है, कथित घटना के लगभग एक माह छह दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। ऐसी परिस्थिति में, यह तर्क दिया जाता है कि लूटी गई पूरी संपत्ति उसके कब्जे से बरामद नहीं की जा सकती। इन आधारों पर, यह प्रस्तुत है कि आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, तथा सूचक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने, तथा उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन के बाद, इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट का वह संस्करण भी शामिल है जिसे केस डायरी में उपलब्ध चिकित्सा साक्ष्यों से समर्थन मिलता है, साथ ही, लूटे गए आभूषणों का एक भाग अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ है, यह न्यायालय मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, इस नतीजे पर पहुँचा है कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आवेदक को ज़मानत दिलाने के लिए कोई ठोस आधार पेश करने में नाकाम रहे हैं।

7. तदनुसार, अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन **निरस्त** किया जाता है।

(लक्ष्मी कान्त शुक्ला, न्यायमूर्ति)

18 जून, 2026